

:-:आदेश :-:

वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, 4 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ मे दिनांक 25.08.2014 से दिनांक 22.10.2014 तक आयोजित हो रहे आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निम्न नवप्रवेशी असिस्टेण्ट कमिश्नर्स (2011/2010/2009 बैच) को नामित किया जाता है :-

वाणिज्य कर अधिकारी 2011 बैच

क्रम संख्या	असिस्टेण्ट कमिश्नर का नाम	सम्बद्धीकरण जोन
1.	श्री सुशान्त मिश्रा	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
2.	श्री रिकेश सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
3.	श्रीमती प्रतिभा निगम	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
4.	श्री दिनेश कुमार सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
5.	श्री कौशलेश सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
6.	सुश्री रेनु सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
7.	श्री हरेन्द्र कुमार गोण्ड	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
8.	श्री सुरेम कुमार	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन इलाहाबाद
9.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन बरेली
10.	श्री उदय प्रताप सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन बरेली
11.	सुश्री रिजवाना शाहिद	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन गाजियाबाद प्रथम
12.	सुश्री निलेश सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन गाजियाबाद प्रथम
13.	श्री आनन्द कुमार	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन गाजियाबाद द्वितीय
14.	श्री जयन्त कुमार सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन गोरखपुर
15.	श्री हेमन्त कुमार	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन कानपुर प्रथम
16.	श्री दुर्गेश कुमार	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
17.	श्री ईश्वर चन्द्र	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
18.	श्री बीर सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
19.	श्री आदितेय मिश्र	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
20.	श्री आदर्श तिवारी	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
21.	सुश्री सुषमा उपाध्याय	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
22.	श्री गिरीश चन्द्र	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
23.	श्री मो0 हसीब	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय
24.	श्री ओम प्रकाश यादव	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय
25.	श्री ऋषि भूषण पाठक	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय
26.	श्री जितेन्द्र कुमार रमन	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय
27.	श्री परमहंस लाल श्रीवास्तव	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय
28.	सुश्री ममता यादव	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय
29.	सुश्री कंचन सिंह गौर	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ द्वितीय

30.	श्री प्रशान्त कुमार सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन मुरादाबाद
31.	श्रीमती रीना देवी	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन वाराणसी प्रथम
32.	श्री सुभाष चन्द्र	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन वाराणसी द्वितीय
33.	श्रीमती सीमा	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन आगरा
34.	सुश्री अनीता	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन आगरा
35.	सुश्री आयुषी दीक्षित	सम्बद्ध स्थापना राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय (2009 बैच)
36.	श्री सुनील कुमार	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन आगरा (2010 बैच)

प्रशिक्षण में आने से पूर्व प्रतिभागी अधिकारियों को <http://goo.gl/RSLno6> लिंक पर अपना पंजीकरण करना होगा। प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति संस्थान में आने के उपरान्त ही मान्य होगी।


उक्त नामित अधिकारी को दि० 25.08.2014 को प्रातः 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होना है।

प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम योगदान हेतु दिशा निर्देश

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं (मेस का एक माह का व्यय जमा करने सहित) प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरान्त किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- अपनी फोटो आईडी मूल रूप में साथ लेकर आएं
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुमति नहीं होगी।
- प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक /शालीन पहनावे में रहना होगा। प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कभी भी अस्त-व्यस्त स्थिति में न देखे जायें तथा वे अपने केश को सुव्यवस्थित रखें।
- प्रशिक्षु अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा। हास्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी मोबाइल वाइब्रेटिंग अथवा स्विच आफ मोड में रख सकत है।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- आधारभूत / व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ कम से कम एक माह के खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आयें तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।


उक्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अवमुक्त किये जाने पर अपने वर्तमान तैनात / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।


(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठोकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात उक्त सूची में अंकित अधिकारियों को दिनांक 25.08.2014 से प्रारम्भ हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से अवमुक्त करते हुये निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।
5. असि0कमि0 (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से।


(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।